खण्ड–5, अंक–1, वर्ष–2017, मु0पृ0 202–203, D.O.I. : 10.22445/avsp.v5i01.9885 वैज्ञानिक लेख

संसदीय विशेषाधिकार एवं उनकी अवहेलना के प्रश्न

राकेश चन्द्र
एसोसिएट प्रोफेसर व प्राचार्य
बी0एस0एन0वी0 पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ–226001, उ0प्र0, भारत
rakeshchandra14@gmail.com

प्राप्त तिथि–31.07.2017, स्वीकृत तिथि–25.09.2017

सार– संसदीय विशेषाधिकार का आशय संसद तथा विधान मण्डलों के सदस्यों को सदन में कही गई किसी बात अथवा दिये गये किसी मत के विरुद्ध न्यायालय के हस्तक्षेप के सुरक्षा से है।

बीज शब्द– संसदीय विशेषाधिकार, अवहेलना के प्रश्न।

Parliamentary privileges and question of its violation

Rakesh Chandra
Associate Professor and Principal
B.S.N.V. P.G. College, Lucknow-226001, U.P., India
rakeshchandra14@gmail.com

Abstract- Parliamentary privilege is the protection of members of parliament and state legislature from judiciary for expressing their views and giving their opinion in the house.

Key words- Parliamentary privilege, question of its violation.

1. **प्रस्तावना–** संसदीय विशेषाधिकार का आशय सामूहिक रूप से संसद के प्रत्येक सदन और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक सदस्य के ऐसे अधिकारों व उन्मुक्तियों से है जिसके बिना वह अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं कर सकता है और जो दूसरी संस्थाओं और व्यक्तियों के अधिकारों व उन्मुक्तियों से अधिक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में क्रमशः संसद व राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों को सदन में भाषण की स्वतन्त्रता, सदन में कही गई किसी बात अथवा दिए हुए किसी मत के विरूद्ध न्यायालय के हस्तक्षेप से सुरक्षा तथा संसद के किसी सदन के अधिकार के द्वारा या अधीन किसी कार्यवाही को लेखबद्ध करने अथवा प्रतिवेदन को प्रकाशित करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। संसद के प्रत्येक सदन एवं उसके सदस्यों तथा उसकी समितियों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां समय–समय पर संसद द्वारा भी निर्धारित की जाती हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 में कहा गया था कि जब तक भारतीय संसद द्वारा सदस्यों के विशेषाधिकारों को निश्चित नहीं किया जाता तब तक भारतीय संसद व उसके सदस्यों के विशेषाधिकार वही होंगे जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामन्स के सदस्यों को प्राप्त है।[1]

2. **संविधान में विशेषाधिकार का प्राविधान–** वर्ष 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 105 व 194 वे अंश निकाल दिए गए जिनमें हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों के अनुसरण करने की व्यवस्था की गयी थी। इस संशोधन के द्वारा यह प्राविधान किया गया था कि संसद के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जैसी संसद समय–समय पर विकसित करें। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 105 तथा 194 में पुनः संशोधन किया गया और यह व्यवस्था की गयी कि संसद व राज्य विधान मंडलों तथा उनकी समितियों के विशेषाधिकार वही होंगे जो उन सदनों को 44वें संशोधन की धारा 15 के प्रवृत्त होने के ठीक पहले प्राप्त थे। इस संशोधन का अर्थ यह हुआ कि अब संसद को नए विशेषाधिकारों को विकसित करने का अधिकार न रहेगा। इस प्राविधान के द्वारा संसद के विशेषाधिकारों का प्रयोग करती रही हैं उनमें से कुछ विशेषाधिकारों का उल्लेख स्पष्ट रूप से संविधान में मिलता है, कुछ विशेषाधिकार संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों में मिलते हैं और कुछ विशेषाधिकारों का वर्णन सम्बन्धित सदन के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में पाया जाता है।

संसद एवं राज्य विधान मंडलों को अपने विशेषाधिकारों को लागू करने का भी अधिकार प्राप्त है। उन्हें किसी भी सदस्य अथवा गैर सदस्य को विशेषाधिकारों के उल्लंघन करने अथवा सदन की अवमानना के अपराध में दंडित करने का अधिकार दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस अधिकार के अभाव में विशेषाधिकारों का कोई महत्व ही न रह जाएगा। यद्यपि सदन की अवमानना की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी सकती क्योंकि इसका अर्थ बहुत ही विस्तृत है फिर भी साधारण अर्थों में कोई कार्य जिसके कारण किसी सदन द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में बाधा या रूकावट पड़ती है या जिससे सदन के किसी सदस्य या अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पड़ती हो अथवा जिसमें ऐसी प्रवृत्ति हो, सदन की अवमानना माना जाएगा। सदन की अवमानना किन बातों से होती है इसकी कोई सूची नहीं है, यह सदन को निश्चित करना होता है कि कोई कार्य सदन की अवमानना का विषय हो सकता है या नहीं। विशेषाधिकार भंग करने वाले व्यक्ति को सदन या तो प्रत्यक्ष रूप

से दंडित करती है या ऐसे विषयों को सदन की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सकती है। समिति का मुख्य कार्य सदन में उठाये गए विशेषाधिकारों के उल्लंघन और सदन की अवमानना के मामलों की जाँच करना तथा इन मामलों में क्या कार्यवाही की जाए इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुति देना है। इस संबंध में अंतिम निर्णय सदन लेता है।

3. **विशेषाधिकार के उल्लंघन का विषय–** संसद के विशेषाधिकारों के संबंध में एक विवादास्पद विषय यह है कि विशेषाधिकारों और मूल अधिकारों में क्या संबंध है। संसदीय विशेषाधिकारों और नागरिकों के मूल अधिकारों के मध्य टकराव के अनेक प्रश्न न्यायालय के सामने आ चुके हैं। एक प्रश्न मुम्बई में साप्ताहिक समाचार पत्र ''ब्लिट्ज़'' का मामला न्यायालय के सामने आया। इस साप्ताहिक के सम्पादक को सदन की अवमानना के अपराध में अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा के आदेशानुसार गिरफ्तार करके मुम्बई से लखनऊ लाया गया और उसे लखनऊ के होटल में हिरासत में रखा गया। इसी बीच सम्पादक ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख प्रस्तुत किया, जिसमें सम्पादक की ओर से कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) में बन्दीकरण के विरूद्ध प्राप्त संरक्षण से उसे वंचित रखा गया क्योंकि गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे के बाद उसे किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नही किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने संपादक के तर्क को स्वीकार करते हुए उसकी रिहाई का आदेश दे दिया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि संसदीय विशेषाधिकार संविधान के भाग–3 में दिए गए मूल अधिकारों के अधीन है।

नागरिकों के मूल अधिकारों और संसदीय विशेषाधिकारों में पारस्परिक संबंध विषयक एक महत्वपूर्ण मामला वर्ष 1964 में उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत केशव सिंह का था। यद्यपि इस मामले का प्रारम्भ एक विशेषाधिकार अवहेलना के साधारण मामले के रूप में हुआ था किन्तु इसका अन्य मौलिक अधिकारों व संसदीय विशेषाधिकारों के पारस्परिक संबंधों के एक अत्यन्त विवादास्पद मामले के रूप में हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश विधान सभा और उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। केशव सिंह ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक सदस्य के विरूद्ध एक अपमानजनक पर्चा छापा और उसे विधान सभा में वितरित किया। केशव सिंह को सदन के विशेषाधिकारों के अवहेलना करने का अपराधी घोषित किया गया और उसे सदन के समक्ष उपस्थिति होने का आदेश दिया गया। केशव सिंह सदन के समक्ष उपस्थित नही हुआ। अतः सदन के आदेश का पालन न करने पर सदन की अवमानना का अपराधी घोषित किया गया। केशव सिंह को 14 मार्च, 1964 को गिरफ्तार करके शास्ति हेतु सदन में उपस्थित किया गया किन्तु वहाँ पर इनका व्यवहार बेहद आपत्तिजनक रहा। फलस्वरूप सदन ने उन्हें 7 दिन का साधारण कारावास देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। 19 मार्च, 1964 को केशव सिंह की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख प्रस्तुत किया गया।

4. **संसद एवं न्यायालय में रखरखाव–** न्यायालय ने केशव सिंह को जमानत पर छोड़ने का अंतरिम आदेश दिया। इस निर्णय के बाद विधान सभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि उन दो न्यायाधीशों को जिन्होनें उक्त निर्णय दिया था, केशव सिंह व उनके वकील को सदन की अवमानना करने के कारण सदन में प्रस्तुत किया जाए। इस संकल्प के कार्यान्वयन को रोकने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 28 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने उक्त याचिकाओं के निस्तारण होने तक के लिए रोधनादेश(स्टेआर्डर) पारित कर दिया। न्यायालय के निर्णय के बाद विधान सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव में न्यायाधीशों का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह सदन के समक्ष उपस्थित होकर यह बताएं कि सदन उनके विरूद्ध सदन अवमानना की कार्यवाही क्यों न करे। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने यह परामर्श दिया कि न्यायालय ने केशव सिंह को जमानत का आदेश देकर सदन की अवमानना नहीं की और न्यायाधीशों के आचरण पर वाद–विवाद करने और उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का अधिकार विधान मंडल को नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायालय केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन ही विधान मंडल द्वारा दिए गए दण्ड की वैधता का परीक्षण करने का अधिकार रखता है। अन्य सभी मामलों में विधान मंडल अपने विशेषाधिकारों के कार्यन्वयन करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।

5. **निष्कर्ष**– सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय विधान पालिकाओं के अपने विशेषाधिकारों के अनुरक्षण हेतु पर्याप्त स्वतंत्र क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।

संदर्भ

1. पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस–राज्य सभा, नई दिल्ली, वर्ष–2012।
rajyasabha.nic.in/rsnews/rsat_work/CHAPTER-8.pdf